(17)

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 229] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 25, 2011/अग्रहायण 4, 1933
No. 229] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 25, 2011/AGRAHAYANA 4, 1933

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 2011

सं. एल-1/44/2010-सी.ई.आर.सी.—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 178 के अधीन प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण प्रभारों तथा हानियों की हिस्सेदारी) विनियम, 2010, (जिसे इसे इसमें इसके पश्चात् "मूल विनियम" कहा गया है), का और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

(1) **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ:** (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण प्रभारों तथा हानियों की हिस्सेदारी) (पहला संशोधन) विनियम, 2011 है ।

(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **मूल विनियम के विनियम 2 का संशोधन** :(1) मूल विनियम के विनियम 2 के खंड (1) के उपखंड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा :

"(ग) **'अनुमोदित अंत:क्षेपण'** से उत्पादक या आईएसटीएस में पदाभिहित आईएमटीएम ग्राहक के किसी अन्य अंत:क्षेपण स्थान के मास, व्यस्ततम या एक्स बस पर व्यस्ततम परिप्रेक्ष्य से भिन्न के प्रत्येक द्योतक ब्लाक के लिए पदाभिहित आईएसटीएस ग्राहक हेतु कार्यन्वयन अभिकरण (आईए) द्वारा वैधीकृत एमडब्ल्यू में अंत:क्षेपण अभिप्रेत है, तथा जिसका अवधारण दीर्घ-कालिक पहुंच तथा मध्य-कालिक निर्बाध पहुंच पर विचार करते हुए, ग्रिड में कुल अंत:क्षेपण सम्मिलित करते हुए, पदाभिहित आईएसटीएस ग्राहकों द्वारा प्रस्तुत उत्पादन आंकड़े के आधार पर किया जाता है"

(2) मूल विनियम के विनियम 2 के खंड (1) के उपखंड (च) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगाः

"(च) "अनुमोदित निकासी " से आईएसटीएस के सभी नोडों से कुल नियंत्रण क्षेत्र में किसी भी पदाभिहित आईएसटीएम ग्राहक के लिए कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा वैधीकृत मेगावाट में समकालिक ऐसी निकासी अभिप्रेत है, जो पदाभिहित आईएसटीएस ग्राहक के आईएसटीएस के साथ इंटरफेस स्थान पर मास, तथा व्यस्ततम परिप्रेक्ष्य से भिन्न प्रत्येक द्योतक ब्लाक से जुड़ा हो तथा जहां अनुमोदित निकासी का अवधारण दीर्घ-कालिक पहुंच तथा मध्यकालिक निर्बाध पहुंच पर विचार करते हुए पदाभिहित, आईएसटीएस ग्राहकों द्वारा प्रस्तुत मांग आकड़ों के आधार पर किया जाएगा।

(3) मूल विनियम के विनियम 2 के खंड (1) के उपखंड (ठ) के अंत में निम्नलिखित परतुंक अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात्:-

" परंतु यह कि जहां आईएसटीएस प्रभारों की बिलिंग वितरण कंपनियों या इन विनियमों के कार्यान्वयन से पूर्व राज्य में ऊर्जा क्रय करने वाले किसी भी पदाभिहित अभिकरण को की जा रही हो वहां, यथास्थिति, वितरण कंपनियां या पदाभिहित अभिकरण को, उस राज्य में आरपीसी द्वारा प्रादेशिक पारेषण लेखा (आरटीए) को तैयार करने के प्रयोजन के लिए तथा सीटीयू द्वारा बिलिंग तथा संग्रहण करने के प्रयोजन के लिए पदाभिहित आईएसटीएस ग्राहक समझा जाएगाः

परंतु यह और कि इन विनियमों के कार्यान्वयन के पश्चात, राज्य उपरोक्त प्रयोजन के लिए किसी भी अभिकरण को पदाभिहित आईएसटीएम ग्राहक के रूप में पदाभिहित कर सकेगा "

(4) मूल विनियम के विनियम (2) के उपखंड (न) के पश्चात, "लक्ष्य क्षेत्र " की परिभाषा अंतःस्थापित की जाएगी अर्थात्:-

"(नां) 'लक्ष्य क्षेत्र' से वह क्षेत्र अभिप्रेत है जिसके लिए उत्पादक सीटीयू से दीर्घकालिक पहुंच अभिप्राप्त करने के पश्चात ऊर्जा का विक्रय करने का प्रस्ताव करता है और जिसके लिए उक्त क्षेत्र में फायदाग्राहियों की पहचान की गई हो।"

(5) मूल विनियम के विनियम 2 के खंड (1) के उपखंड (भ) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:

"(भ) " **वार्षिक पारेषण प्रभार (वाईटीसी)**" से अंतर-राज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी तथा समझे गए आईएसटीएस अनुज्ञप्तिधारियों, जिसमें ऊर्जा का वहन करने के लिए प्रादेशिक ऊर्जा समिति द्वारा प्रमाणित

गैर-आईएसटीएस लाइनें भी हैं, के विद्यमान तथा नई पारेषण आस्तियों के लिए ऐसे वार्षिक पारेषण प्रभार अभिप्रेत हैं, जिनका अवधारण विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 के अधीन समुचित आयोग द्वारा किया जाता है या जिनको विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के अधीन समुचित आयोग द्वारा स्वीकार किया जाता है या जो अन्यथा इन विनियमों में उपबंधित हो।"

3. **मूल विनियम के विनियम 3 का संशोधनः** मूल विनियम के विनियम 3 के खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थातः-

"(ख) आईएसटीएस से जुड़े राज्य विद्युत बोर्ड/राज्य पारेषण उपयोगिता या राज्य में पदाभिहित अभिकरण (एसईबी/एसटीयू/अंतरा-राज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के स्वामित्वाधीन पारेषण प्रणाली से जुड़ी वितरण कंपनियों, उत्पादकों तथा अन्य थोक ग्राहकों की ओर से);

(4) **मूल विनियम के विनियम 7 का संशोधनः** (1) मूल विनियम के विनियम 7 के खंड (1) के उपखंड (ठ) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थातः

"(ठ) नोडों के बीच विभाजित किए जाने वाले संपूर्ण प्रभारों की संगणना, आईएसटीएस अनुज्ञप्तिधारियों की प्रत्येक लाइनों के लिए विभाजित वार्षिक पारेषण प्रभारों के आधार पर की जाएगी। संबंधित आईएसटीएस पारेषण अनुज्ञप्तिधारी प्रत्येक वोल्टता स्तर की आस्तियों तथा कंडक्टर संरूपण के लिए संगणित वार्षिक पारेषण प्रभारों को उपलब्ध कराएंगे। आईएसटीएस अनुज्ञप्तिधारी, समझे गए आईएसटीएस अनुज्ञप्तिधारी तथा प्रादेशिक ऊर्जा समितियों द्वारा प्रमाणित गैर-आईएसटीएस लाइनों के स्वामी अपनी उन पारेषण आस्तियों के कुल वार्षिक पारेषण प्रभारों को देंगे, जिनके प्रभारों की वसूली प्रत्येक वोल्टता स्तर पर सर्किट किलोमीटर के साथ तथा प्रत्येक कंडक्टर संरूपण के लिए लागू अवधि में पीओसी तंत्र के माध्यम से की जाएगी। कुल वार्षिक पारेषण प्रभारों का विभाजन प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ पर सीटीयू द्वारा प्रस्तुत संकेतिक लागत स्तरों के अनुपात पर या लागू अवधि तथा आयोग द्वारा अनुमोदित आधार पर प्रत्येक वोल्टता स्तर तथा कंडक्टर के लिए किया जाएगाः

परंतु यह कि वार्षिक पारेषण प्रभारों का पुनरीक्षण छह मासिक आधार, अर्थात् 1 अक्तूबर तथा पश्चातवर्ती तिमाही आधार पर, अर्थात् 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्तूबर तथा 1 दिसंबर को किया जाएगा।

(2) मूल विनियम के विनियम 7 के खंड (1) के उपखंड (ड) का लोप किया जाएगा।

(3) मूल विनियम के विनियम 7 के खंड (1) के उपखंड (ण) के अधीन निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु यह कि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित औसत उत्पादन तथा मांग आंकड़ों के आधार पर एकल परिप्रेक्ष्य पर 2011-12 या ऐसी अन्य अवधि के लिए पीओसी भारों का अवधारण करने के लिए विचार किया जाएगा जो आयोग डीआईसी से विभिन्न परिप्रेक्ष्यों के लिए नोड-वाइस पूर्वानुमान आंकड़े की उपलब्धता के आधार पर विनिश्चित करें।"

5. मूल विनियम के विनियम 11 का संशोधनः (1) मूल विनियम के विनियम 11 के खंड (4) में संगणना फार्मूला के नीचे के पैरा के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:

"बिल के इस प्रथम भाग को संयोजन प्रभारों के स्थान के आधार पर, प्रत्येक पदाभिहित आईएसटीएस ग्राहक के लिए अनुमोदित निकासी तथा अनुमोदित अंतःक्षेपण, संबंधित प्रादेशिक ऊर्जा समितियों द्वारा पूर्व मास के लिए प्रत्येक मास में पर प्रादेशिक पारेषण लेखाओं को अपनी वेबसाइटों डालने अपलोडिंग के अगले कार्य दिवस पर कार्यान्वियन अभिकरण द्वारा प्रदान किए गए आधार पर भेजा जाएगा:

परंतु यह कि अनुमोदित उन पारेषण प्रभारों, जिनके लिए बिलिंग की गई है, के साथ पारेषण आस्तियों की सूची बिल के प्रथम भाग के साथ संलग्न की जाएगीः

परंतु यह भी कि फायदाग्राहियों को पहचाने बिना, लक्ष्य क्षेत्र को दीर्घ-कालिक पहुंच की मात्रा के प्रभारों में लक्ष्य क्षेत्र में सभी डीआईसी के बीच अंतःक्षेपण पीओसी प्रभारों तथा पीओसी प्रभारों की न्यूनतम मांग सम्मिलित होगी।

(2) मूल विनियम के विनियम 11 के खंड (5) के नीचे संगणना सूत्र के स्थान पर, निम्निलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:

"बिल के दूसरे भाग को बिल के प्रथम भाग के साथ पदाभिहित आईएसटीएम ग्राहकों को भेजा जाएगाः

परंतु यह कि समक्रमिक संयोजित ग्रिड में अतिरिक्त मध्य-कालिक निर्बाध पहुंच ग्राहकों से संगृहीत राजस्व, जिस पर अनुमोदित अंतःक्षेपण/अनुमोदित निकासी के समय विचार किया नहीं किया गया, की प्रतिपूर्ति, संबंधित मास की मासिक बिलिंग के अनुपात में, आगामी मास में दीर्घ-कालिक निर्बाध पहुंच को ध्यान में रखते हुए, उसी समक्रमिक संयोजित ग्रिड में अवस्थित डीआईसी को की जाएगीः

परंतु यह और कि उस लक्ष्य क्षेत्र, जिसके लिए उत्पादक को दीर्घ-कालिक पहुंच अनुदान की गई हो, को मध्य-कालिक निर्बाध पहुंच के लिए अंतःक्षेपण पीओसी प्रभारों तथा मांग पीओसी प्रभारों का समायोजन पहचाने गए फायदाग्राहियों के बिना लक्ष्य क्षेत्र को दीर्घ-कालिक पहुंच के लिए अंतःक्षेपण पीओसी प्रभारों तथा

गए फायदाग्राहियों के बिना लक्ष्य क्षेत्र हेतु दीर्घ-कालिक पहुंच के लिए अंतःक्षेपण पीओसी प्रभारों तथा मांग पीओसी प्रभारों के प्रति किया जाएगा तथा उनका समायोजन फायदाग्राहियों के बिना किसी अन्य क्षेत्र के लिए दीर्घ-कालिक पहुंच के प्रति नहीं किया जाएगाः

परंतु यह और कि किसी भी क्षेत्र के लिए उत्पादक को दिए गए अल्प-कालिक निर्बाध पहुंच के लिए अंतःक्षेपण पीओसी प्रभार की क्षतिपूर्ति लक्ष्य क्षेत्र के लिए उत्पादक को अनुदत्त दीर्घ-कालिक पहुंच के लिए अंतःक्षेपण पीओसी प्रभार के प्रति की जाएगीः

परंतु यह भी कि उस उत्पादक, जिसे पहचाने गए फायदाग्राहियों के बिना लक्ष्य क्षेत्र के लिए निर्बाध पहुंच अनुदत्त की गई हो, से मध्य कालिक निर्बाध पहुंच तथा अल्प-कालिक निर्बाध पहुंच की मात्रा की क्षतिपूर्ति करने के लिए पश्चात शेष मात्रा के लिए लक्ष्य क्षेत्र में सभी पदाभिहित आईएसटीएस ग्राहकों में से, पीओसी अंतःक्षेपण प्रभार प्लस न्यूनतम पीओसी मांग प्रभार का संदाय करने की अपेक्षा की जाएगीः

परंतु यह भी कि इस समायोजन को उन व्यापार अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा किए गए सामूहिक संव्यवहार तथा द्विपक्षीय संव्यवहारों के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जिनके पास उस राज्य में उत्पादकों का पोर्टफोलियो है जिसके लिए लक्ष्य क्षेत्र हेतु दीर्घ-कालिक पहुंच अभिप्राप्त की गई थी ।"

6. मूल विनियम के उपाबंध का संशोधनः

(1) मूल विनियम के उपाबंध के अंतिम उप पैरा "नेटवर्क आंकड़ा" शीर्षक के अधीन पैरा 2.1.2 (छ) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌:

(छ) "नोड़ों के बीच आबंटित किए जाने वाले संपूर्ण प्रभारों की संगणना आईएसटीएस अनुज्ञप्तिधारियों, समझे गए आईएसटीएस अनुज्ञप्तिधारियों तथा उन गैर-आईएसटीएस लाइनों, जिन्हें अंतर-राज्यिक ऊर्जा प्रवाहित करने के लिए संबंधित प्रादेशिक ऊर्जा समिति द्वारा प्रमाणित किया गया है, की पारेषण आस्तियों के वार्षिक पारेषण प्रभारों को स्वीकार करके की जाएगी । इन विनियमों के उपबंधों के अनुसार, प्रत्येक वोल्टता स्तर तथा कंडक्टर संरूपण पर आस्तियों के लिए संगणित वार्षिक पारेषण प्रभार की गणना विभिन्न वोल्टता स्तरों और कंडक्टर संरूपण के लिए केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता द्वारा प्रदान किए गए निर्देशक लागत स्तर पर आधारित प्रत्येक आईएसटीएस पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के लिए की जाएगी । उन आरपीसी प्रमाणित गैर-आईएसटीएस लाइनों, जो अंतर-राज्यिक ऊर्जा का प्रवहरण करती हैं, के लिए वार्षिक पारेषण प्रभार का अनुमोदन समुचित आयोग द्वारा किया जाएगा ।

यदि आरपीसी प्रमाणित गैर-आईएसटीएस लाइनों के लिए टैरिफ को समुचित आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है, तो सुसंगत वोल्टता स्तर तथा कंडक्टर संरूपण के लिए यथा-संगणित औसत वाईटीसी का उपयोग किया जाएगा ।

मांग पीओसी प्रभारों के प्रति किया जाएगा तथा पहचाने गए फायदाग्राहियों के बिना किसी अन्य लक्ष्य क्षेत्र के लिए अनुदत्त दीर्घ-कालिक पहुंच के प्रति समायोजन नहीं किया जाएगाः

परंतु यह भी कि किसी क्षेत्र में उत्पादक को दिए गए दीर्घ-कालिक निर्बाध पहुंच के लिए अंतःक्षेपण पीओसी प्रभार की क्षतिपूर्ति लक्ष्य क्षेत्र के उत्पादक को अनुदत्त दीर्घ-कालिक पहुंच के लिए अंतःक्षेपण पीओसी प्रभार के प्रति की जाएगीः

परंतु यह भी कि ऐसा उत्पादक, जिसे पहचाने गए फायदाग्राहियों के बिना लक्ष्य क्षेत्र के लिए दीर्घ-कालिक पहुंच अनुदत्त की गई हो, से विनियम 11 के खंड (4) के अंतिम परंतुक के अधीन रहते हुए, मध्य-कालिक निर्बाध पहुंच की मात्रा की क्षतिपूर्ति करने के पश्चात शेष मात्रा के लिए लक्ष्य क्षेत्र में सभी डीआईसी के बीच पीओसी अंतःक्षेपण प्रभार मास न्यूनतम पीओसी मांग प्रभार का संदाय करने की अपेक्षा की जाएगीः

परंतु यह भी कि यह समायोजन उन व्यापार अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा किए जाने वाले सामूहिक संव्यवहारों तथा द्विपक्षीय संव्यवहारों के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जिनके पास उस राज्य में उत्पादकों का पोर्टफोलियों हो जिसके लिए लक्ष्य क्षेत्र हेतु दीर्घ-कालिक पहुच अभिप्राप्त कर ली हो । "

(3) मूल विनियम के विनियम 11 के खंड (7) के नीचे अंतिम पैरा के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:

"इस बिल को आरपीसी द्वारा प्रादेशिक पारेषण विचलन के जारी किए जाने के 3 (तीन) कार्य दिवस के भीतर सीटीयू द्वारा जारी किया जाएगाः

परंतु यह कि अनसूचित विनियम ऊर्जा के लेखा संबंधी विचलन की सूचना के लिए उत्तरदायी राज्य का अभिकरण अपने प्रादेशिक पारेषण विचलन लेखा (आरटीडीए) में उसे सम्मिलित करने के लिए संबंधित आरपीसी के लिए पारेषण उपयोग के विचलन की सूचना देने के लिए उत्तरदायी अभिकरण होगाः

परंतु यह और कि समक्रमिक संयोजित ग्रिड में डीआईसी से विचलन के लिए बिल के लिए संगृहीत राजस्व की प्रतिपूर्ति उसी समक्रमिक संयोजित ग्रिड में, दीर्घ-कालिक पहुंच को ध्यान में रखते हुए, संबंधित मास के मासिक बिलिंग के अनुपात में आगामी मास में की जाएगी।

(4) मूल विनियम के विनियम 11 के खंड (8) का लोप किया जाएगा ।

(5) मूल विनियम के विनियम 11 के खंड (9) के अंतः में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:

"परंतु यह कि उस लक्ष्य क्षेत्र, जिसके लिए उत्पादक को दीर्घ-कालिक पहुंच अनुदत्त की गई है, के लिए अल्पकालिक निर्बाध पहुंच हेतु अंतःक्षेपण पीओसी प्रभारों तथा मांग पीओसी प्रभारों का समायोजन पहचाने

15.6.2010 को आरपीसी द्वारा प्रमाणित गैर-आईएसटीएस लाइनों को निरंतर अंतर-राज्यिक ऊर्जा का प्रवहण करने के लिए आरपीसी प्रमाणित गैर-आईएसटीएस लाइन समझा जाएगा। ऐसी आरपीसी प्रमाणित गैर-आईएसटीएस लाइनों के वार्षिक पारेषण प्रभार वैसे ही रहेंगे तथा उसी सिद्धांत द्वारा शासित होंगे जैसे वे 15.6.2010 को थे।

अंतर-राज्यिक ऊर्जा का प्रवहण करने के लिए उन गैर-आईएसटीएस लाइनों को प्रमाणित करने के लिए, जिन्हें मूल विनियम की अधिसूचना की तारीख को आरपीसी द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था, भार प्रवाह अध्ययनों की प्रक्रिया के माध्यम से अवधारित किया जाएगा। वार्षिक औसत आधार पर भार प्रवाह अध्ययनों के परिणामों में अंतर-राज्यिक ऊर्जा, उनके द्वारा अंतर-राज्यिक ऊर्जा का वहन किए जाने वाली ऊर्जा के 50% से अधिक का प्रवहण करने वाली लाइनों को दर्शित किया जाना चाहिए। इसकी संवीक्षा एनएलडीसी द्वारा स्वीकार की जाने वाली सामान्य पद्धति के माध्यम से संबंधित आरपीसी द्वारा किए गए प्रस्ताव पर संबंधित आरएलडीसी के परामर्श से की जाएगी। ऐसी आरपीसी प्रमाणित गैर-आईएसटीएस लाइनो, जो अंतर-राज्यिक ऊर्जा का प्रवहण करती हैं, के लिए वार्षिक पारेषण प्रभारों का अनुमोदन समुचित आयोग द्वारा किया जाएगा।

आवेदन अवधि में प्रारंभ होने वाली पारेषण आस्तियों के वार्षिक पारेषण प्रभारों की वसूली का समावेशन कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा अनुमोदित टैरिफ, जिसमें अंनतिम रूप से अनुमोदित टैरिफ भी है, के आधार पर किया जाएगाः

परंतु यह कि आरपीसी प्रमाणित गैर-आईएसटीएस लाइनों के स्वामियों को संवितरण समुचित आयोग द्वारा टैरिफ अनुमोदित किए जाने के पश्चात् किया जाएगा "

2. मूल विनियम के उपाबंध के पैरा 2.7 के खंड (2) के स्टेप 4 में पहले पैरा के पश्चात, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"चंदरपुर तथा गजुवाका पर एचवीडीसी बैक-टू-बैक अंतर-प्रादेशिक लिंकों के प्रभारों को 1:1 के अनुपात में नए ग्रिड तथा दक्षिण क्षेत्र ग्रिड के वार्षिक पारेषण प्रभारों में सम्मिलित किया जाएगा तथा तलचर कोलार एचवीडीसी बाईपोल लिंक के लिए प्रभारों का विभाजन केवल दक्षिण क्षेत्र के पदाभिहित आईएसटीएस ग्राहकों में किया जाएगा।"

राजीव बंसल, सचिव

[विज्ञापन III/4/150/11-असा.]

टिप्पण : मूल विनियम भारत के राजपत्र, सं. 162 असाधारण, भाग III, खंड 4, तारीख 16 जून, 2010 को प्रकाशित किए गए थे।